नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2019

साकाद.लि. ..... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तू की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पत्तित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्लों का प्रयोग करते के तहत प्रदत्त शक्लों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतदा सरकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्थान विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2015-सीमा शुल्क (एकडी), दिनांक 11 अप्रैल, 2015, जिसे साकाद.लि. 281 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

(फाइल संख्या- 354/111/2014-टीआरयू (पार्ट-2)

(रूचि विषय)
अवर सचिव, भारत सरकार